मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-6

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 24 जुलाई, 2006 (श्रावण 2, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व सदस्य विधान सभा श्री गजराम सिंह, श्री रामचन्द्र चौधरी तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस विधायक दल, मध्यप्रदेश के स्थायी सचिव श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्यगण श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री हरिवल्लभ शुक्ला श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री मनमोहन शाह बट्‌टी ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में विधानसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.47 बजे 5 मिनिट के लिए स्थगित होकर 10.52 बजे पुन: प्रारम्भ हुई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(प्रश्न संख्या-2 (क्रमांक 1545) "किताबों से हटाये गये पाठ्यक्रम "संबंधी मामले पर चर्चा के दौरान पाठ्यपुस्तक से चाचा नेहरू के पाठ को निकाले जाने के विरोध में सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्य गर्भगृह में आ गये तथा कुछ समय पश्चात् अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर वापस अपने-अपने आसन पर चले गये)

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुनादेवी के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा पाठ्यपुस्तकों से नेहरू जी और कमला नेहरू जी के पाठ हटाये जाने पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 107 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 105 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री मनमोहन शाह बट्टी, सदस्य ने म.प्र. लोक सेवा आयोग से उत्तीर्ण प्रतियोगियों को प्रोत्साहन राशि न दिये जाने,

(2) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने प्रदेश सरकार द्वारा नाबार्ड को गारंटी न दिये जाने के कारण किसानों को भूमि विकास बैंक से ऋण प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति,

(3) श्री ओमप्रकाश पुरोहित, सदस्य ने मंदसौर जिले के कम्बल बुनकरों का भुगतान खादी ग्रामोद्योग द्वारा न किये जाने,

(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर जिले में सर्वशिक्षा अभियान के तहत अतिरिक्त कमरों के निर्माण में अनियमितता होने,

(5) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य ने पन्ना जिले के अनेक चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी होने,

(6) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य ने प्रदेश में संविदा पर नियुक्त आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों को 3 वर्ष बाद भी मानदेय में वृद्धि न किये जाने,

(7) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य ने सीधी जिले के शिक्षकों को वेतन न दिये जाने,

(8) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के इटारसी ग्वालबाबा क्षेत्र की नजूल भूमि पर अतिक्रमण होने,

(9) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने सीतामऊ कन्या हायर सेकेण्डरी विद्यालय में महिला शिक्षिका के न होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004,

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004,

पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण-की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में छः सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही उनका अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर छः ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर आधे घण्टे में चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, राजेश पटेल, सत्यदेव कटारे, सदस्य ने भोपाल नगर में डकैती एवं लूट की अनेक घटनाएं घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुनादेवी के नेतृत्व में "भोपाल नगर में डकैती एवं लूट की अनेक घटनाएं घटित होने" संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) श्री शिवराज शाह, सदस्य ने मंडला जिले के नैनपुर क्षेत्र में अवैध क्रेशर मशीनें चालू होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री, खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने रतलाम में शराब माफिया द्वारा जिला आबकारी अधिकारी पर प्राणघातक हमला किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने मुरैना जिले में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6.याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के -

(क) ओरछा स्थित स्मारकों के जीर्णोद्धार किये गये कार्यों की जांच कराये जाने,

(ख) ओरछा में पर्यटक पुलिस तैनात किये जाने,

(ग) निवाड़ी तिगेला के आगे नाले पर पुलिया बनाये जाने, तथा

(घ) ओरछा के पास बेतवा नदी पर फिल्टर प्लांट लगाये जाने,

संबंधी याचिका प्रस्तुत की।

7. वक्तव्य

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के हित में एवं विद्युत बिलों की बकाया राशि के कारण विच्छेदित विद्युत कनेक्शनों को सुविधा प्रदान करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक,2006 (क्रमांक 17 सन् 2006),

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006),

(3) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 19 सन् 2006),

(4) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006),

सदन की अनुमति से विधेयक पुरःस्थापित किये।

(1.10 बजे से 2.36 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

9. वर्ष 2006-2007 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

"दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 67, 68, 69, 72, 76, 77, 79, 80, 81 एवं 82 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तेरह सौ सत्रह करोड़, एक लाख, सत्रह हजार, छः सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय. "

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार

(2) श्रीमती सुधा जैन

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(4) श्री अजय सिंह

(5) श्री बृजेन्द्र तिवारी

(6) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(7) श्री आरिफ अकील

(8) श्री दिलीप सिंह गुर्जर

(9) श्री गजराज सिंह सिकरवार

(10) डॉ. सुनीलम

(11) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(12) श्री सुखदेव पांसे

(13) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"

(14) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2006 (क्रमांक 16 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2006 (क्रमांक 16 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

5 बजकर 28 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई, 2006 (श्रावण 3, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.